

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक: सीआरओ/राआम/2020-21/51

दिनांक : 01/07/2020

कार्यालय आदेश

वर्ष 2019-2020 की आवासीय एवम् व्यावसायिक भूखण्डों की विकसित भूमि दर कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.2(3)लागत/1037(iii)/1043 दिनांक 03.07.2019 के अनुसार 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक वैध थी, जो कोविड-19 की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.2(3)लागत/1037(iii)/1340 दिनांक 30.06.2020 से दिनांक 30 सितम्बर 2020 तक स्थिर कर दी गई है।

इसी क्रम में जिन विभिन्न आवासीय एवम् व्यावसायिक भूखण्डों की निर्धारित की गई न्यूनतम बिड मूल्य (MBP) की वैधता तिथि 30 जून 2020 थी, को दिनांक 30 सितम्बर 2020 तक स्थिर की जाती है।


आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव-वित्तीय सलाहकार/सचिव राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
6. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-----, रा.आ.मं.,-----।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
9. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-----रा.आ.मं.,-----।
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी-----, रा.आ.मं. जयपुर।
11. सम्पदा प्रबन्धक वृत्त-----राजस्थान आवासन मण्डल,-----।
12. लेखाधिकारी, वृत्त-----, रा.आ.मं.,-----।
13. कार्यालय आदेश/रक्षित पत्रावली।


वित्तीय सलाहकार